कार्यालय वन मंडल अधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव

दूरभाष : 07744–225059 (का), 226389 (नि.), ई–मेल dfo-rajnandgaon.cg@gov.com

ज्ञापन क्र. / मा.चि. / 42 / 1558 राजनांदगांव, दिनांक 22/08/2017

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त दुर्ग

विषय :– **Diversion of forest land for non- foresty purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for construction of Markatola Tank project at Markatola village, area-48.83 ha. Regarding (पंजीयन क्रमांक/FP/CG/IRRIG/23251/2016)**

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध / व.स.अ.) का पत्र कमांक / भू–प्रबंध / सिंचाई / एल. एम.–425–61 / 935 दिनांक 01.04.2017

— ********* —

विषयांकित संदर्भित के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। उपरोक्त प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

01. आवेदनकर्ता कार्यापालन अभियंता जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव जिला राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा राजनांदगांव वनमण्डल अंतर्गत पानाबरस परियोजना मंडल राजनांदगांव को कार्य हेतु हस्तांतरित वन क्षेत्र अंतर्गत परिक्षेत्र भोजटोला के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 762, रकबा 48.83 हे. क्षेत्र की मांग मरकाटोला जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु की गई है।

02. आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क हेतु रूपये 29000/– (रूपये उन्नतीस हजार) जमा कराये गये है।

03. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.5 है एवं वन site quality V है ।

04. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। जो निम्नानुसार है :–

(i) प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य **मरकाटोला जलाशय परियोजना के निर्माण** हेतु मांग की जा रही है, वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भी भूमि विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है।

(ii) वर्तमान व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

05. प्रस्तावित परियोजना के कियान्वन हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

06. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने संबंधी वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव का प्रमाण पत्र संलग्न है।

07. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना में आवेदनकर्ता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 नियम 03 B का उल्लंघन नहीं किया गया है।

08. आवेदित क्षेत्र सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंदर किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (Biosphere Reserve, प्राकृतिक झील, आदिवासी सैटलमेंट, धार्मिक स्थल) नहीं है। इस हेतु वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव का प्रमाण पत्र संलग्न है।

09. आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण एवं संरक्षित क्षेत्र का भाग नहीं है एवं आवेदित वन भूमि की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में संरक्षित वन क्षेत्र (Protected Forest) है। वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव का प्रमाण पत्र संलग्न है।

10. आवेदक द्वारा शासन निर्देशानुसार 48.83 हे. वन भूमि की साईट क्वालिटी सघन वन एवं घनत्व 0.4 होने के कारण 8.03 लाख प्रति हे. की दर से प्रत्याशा मूल्य (NPV) जमा करने हेतु वचन पत्र दिया गया है।

11. Land Reclamation/Catchment area Treatment/fire protection/Safety Zone/Resettlement plan अन्य मिश्रित रोपण योजना के कियान्वयन हेतु आवेदन कर्ता का वचन पत्र संलग्न है।

12. आवेदित गैर वानिकी परियोजना पर पर्यावरण स्वीकृति लागू होती है।

अनुशंसित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्ग दर्शिका सिद्धांतों के औपचारिकतायें पूर्ण कर प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :–प्रस्ताव 05 प्रतियों में।

वन संरक्षक एवं प्रभारी वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव

पृ.क्र. / मा.चि. / 42 / 1559 राजनांदगांव, दिनांक 22/08/2017

<u>प्रतिलिपि</u> :–

आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जिला राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं प्रेषित।

वन संरक्षक एवं प्रभारी वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव